

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
सत्यमेव जयते
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-29052020-219641
SG-DL-E-29052020-219641

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 86]	दिल्ली, शुक्रवार, मई 22, 2020/ज्येष्ठ 01, 1942	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 19
No. 86]	DELHI, FRIDAY, MAY 22, 2020/JYAISHTHA 01, 1942	[N.C.T.D. No. 19

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग
अधिसूचना
दिल्ली, 21 मई, 2020

सं.फां. 6(32)/09-न्याय/अधी.विधि./512-526.—निम्नलिखित को सामान्य जनसूचना के लिए, इसके द्वारा, प्रकाशित किया जाता है:-

“विधिक सेवाएं प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा-8 ए की उपधारा 2 में अन्तर्विष्ट शक्तियों के प्रयोग में माननीय न्यायमूर्ति श्री डी० एन० पटेल, मुख्य न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय/प्रधान संरक्षक, दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण द्वारा, माननीय न्यायमूर्ति श्री विपिन सांघी, न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय को दिल्ली उच्च न्यायालय विधिक सेवाएं समिति के अध्यक्ष पद पर सहर्ष मनोनीत किया जाता है।”

माननीय मुख्य न्यायाधीश,
दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश से,

हस्ताक्षरित
(सदस्य सचिव)
दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण”

संजय कुमार अग्रवाल, प्रधान सचिव (विधि, न्याय एवं विधायी कार्य)

**DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE AND LEGISLATIVE AFFAIRS
NOTIFICATION**

Delhi, the 21st May, 2020

No. F. 6(32)/09-JudL./Suptlaw/512-526.—The following is hereby published for general information of the public: -

“In exercise of the powers conferred by Sub-section 2 of Section 8A of Legal Services Authorities Act, 1987, Hon’ble Mr. Justice, D.N. Patel, Chief Justice, High Court of Delhi / Patron-in-Chief, Delhi State Legal Services Authority has been pleased to nominate Hon’ble, Mr. Justice Vipin Sanghi, Judge, High Court of Delhi as Chairman of Delhi High Court Legal Services Committee.”

By Orders of the
Hon’ble Chief Justice
High Court of Delhi,

-Sd-
(Member Secretary)
Delhi State Legal Services Authority”

SANJAY KUMAR AGGARWAL, Principal Secy. (Law, Justice & L.A.)

अधिसूचना

दिल्ली, 21 मई, 2020

सं.फां. 27/3/2003—न्याय/अधी.विधि./527—533.—निम्नलिखित को सामान्य जनसूचना के लिए, इसके द्वारा, प्रकाशित किया जाता है:—

“विधिक सेवाएं प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा-29 ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय कार्यकारी अध्यक्ष, दि.रा.वि.से.प्रा. एतद्वारा दिल्ली विधिक सेवाएं प्राधिकरण विनियम, 2002 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं :—

विनियम 9 में संशोधन.—दिल्ली विधिक सेवाएं प्राधिकरण विनियम, 2002 के विनियम 9 के खंड (ज) के पश्चात (क) एवं (ख) में शब्द “दो लाख” को शब्द “चार लाख” से प्रतिस्थापित किया जायेगा।

उपर्युक्त के अलावा, दिल्ली विधिक सेवाएं प्राधिकरण विनियम, 2002 में खंड 9 (ज) के (क) एवं (ख) के पश्चात निम्नलिखित श्रेणियां जोड़ी जाएंगी, अर्थात् :—

(ग) एसिड हमले के शिकार ।

(घ) एचआईवी (एड्स) से संक्रमित एवं प्रभावित व्यक्ति ।

माननीय कार्यकारी अध्यक्ष/दि.रा.वि.से.प्रा. के आदेश से,

हस्ताक्षरित
संजीव जैन
सदस्य सचिव”
तत्कालीन सदस्य सचिव
दि.रा.वि.से.प्रा.

संजय कुमार अग्रवाल, प्रधान सचिव (विधि, न्याय एवं विधायी कार्य)

NOTIFICATION

Delhi, the 21st May, 2020

F. 27/3/2003-Judl./Suptlaw/527-533.—The following is hereby published for general information of the Public: —

“In exercise of the powers conferred by Section 29A of the Legal Services Authorities Act, 1987, the Hon’ble Executive Chairperson, DSLSA hereby makes the following amendments in the Delhi Legal Services Authority Regulations 2002: —

Amendment in Regulation 9. —After clause (h) in (a) and (b) of Regulation 9 of Delhi Legal Service Authority Regulations 2002, the words “Two Lacs” shall be substituted with the words “Four Lacs”.

In addition to aforesaid, the following categories shall be added after (a) and (b) of clause 9 (h) in the Delhi Legal Services Authority Regulations, 2002, namely: —

- (c) Victims of Acid Attack.
- (d) Persons infected and effected with HIV (AIDS)."

By Order of the Hon’ble
Executive Chairperson/DSLSA,

Sd/-
Sanjeev Jain, Member Secretary
The then Member Secretary
DSLSA

SANJAY KUMAR AGGARWAL, Pr. Secy. (Law, Justice & L.A.)

अधिसूचना

दिल्ली, 21 मई, 2020

सं0फां0 6/23/2017-न्याय/अधी.विधि./534-540.—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली उच्च न्यायालय के परामर्श से, श्री करुण गर्ग, एक सामान्य श्रेणी उम्मीदवार, जिनका नाम इस विभाग की अधिसूचना सं0फां0 6/23/2017-न्याय/अधी.विधि./1035-1040 दिनांक 11.06.2019 में क्रम संख्या 17 पर उल्लिखित था, की नियुक्ति को दिल्ली न्यायिक सेवा में शामिल न होने के कारण, निरस्त करते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के
उपराज्यपाल के आदेशानुसार तथा उनके नाम पर,

सुनील कुमार शर्मा, अतिरिक्त-सचिव (विधि, न्याय एवं विधायी कार्य)

NOTIFICATION

Delhi, the 21st May, 2020

No. F. 6/23/2017-Judl./Suptlaw/534-540.—The Hon’ble Lt. Governor, NCT of Delhi in consultation with the High Court of Delhi, is pleased to cancel the appointment of Mr. Karun Garg, a general category candidate, whose name appears at Sl. No. 17 of this Department’s Notification No.F.6/23/2017-Judl./Suptlaw/1035-1040 dated 11.06.2019, on account of his non-joining to the Delhi Judicial Service.

By Order and in the Name of the
Lt. Governor of National
Capital Territory of Delhi,

SUNIL KUMAR SHARMA, Addl. Secy. (Law, Justice & L.A.)